

Head Office: Plot No. 4, Sector 10, Dwarka, New Delhi - 110 075
(Email hosd@pnb.co.in)

NOTICE OF THE 19TH AGM OF THE BANK
TO BE HELD THROUGH VC/OAVM

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 19th Annual General Meeting of the Shareholders of PUNJAB NATIONAL BANK will be held on Tuesday, the 04th August 2020, at 10.00 a.m. (IST) through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) facility in compliance of the applicable provisions of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 8th April, 2020, 13th April, 2020 and 5th May 2020, respectively, issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 issued by SEBI ("SEBI Circular") in view of the continuing COVID-19 pandemic, without the physical presence of shareholders at a common venue, to transact the following business (as detailed in the Notice of AGM):

Ordinary Business:

Item No.1: To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2020, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2020, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.

Special Business:

Item No.2: Appropriation of accumulated losses of Rs. 28707.92 Crore from Share Premium Account of the Bank.

Item No.3: Raising of Equity Share Capital for an amount upto Rs. 7000.00 Crore through Qualified Institutional Placement (QIP) / Further Public Offer (FPO)/Rights Issue or such other permitted mode as may be deemed appropriate depending upon market conditions, pursuant to applicable laws/guidelines and subject to receipt of requisite approvals.

Notes:

1. The Notice of the 19th AGM and the Annual Report for the year 2019-20 will be sent only by email to all those Shareholders whose email addresses are registered with the Bank/Depository Participants (DP), in accordance with the aforementioned Circular(s). Shareholders can join and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. Shareholders participating through VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum. The instructions for joining the AGM through VC/OAVM are set forth in the detailed Notice of AGM.
2. The Notice of the AGM and the Annual Report will also be available on the website of the Bank i.e. www.pnbindia.in and the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively.
3. No person shall be entitled to attend the AGM through VC/OAVM and/or vote through e-voting as duly authorized representative of a body corporate, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the Chairman of the Meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Share Department, Punjab National Bank, East Wing, First Floor, Plot No.4, Sector 10, Dwarka, New Delhi 110075 or sent to the Scrutinizer by e-mail to Scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.co.in and hosd@pnb.co.in not less than four days before the date of the meeting i.e. on or before the closing hours i.e. 5.00 p.m. of Thursday, the 30th July, 2020.
4. Closure of Register of Shareholders: The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from Wednesday, 29th July, 2020 to Tuesday 04th August, 2020 (both days inclusive).
5. Voting through Electronic Means: Shareholders may please note that in compliance of Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and the provisions of Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended ["E-voting Rules"] read with the aforementioned MCA Circulars, the Bank is pleased to provide its shareholders the facility to exercise their right to vote in respect of the business to be transacted at the AGM by electronic means (remote e-voting and e-voting during the AGM) through the e-voting platform provided by National Securities Depository Limited (NSDL) and the shareholders may follow the procedure as detailed in the Notice of the AGM. A copy of Notice of AGM shall also be made available on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com
6. The remote e-voting will commence on Saturday, 01st August, 2020 at 9:00 a.m. and end on Monday, 03rd August, 2020 at 5:00 p.m. and the remote e-voting shall not be allowed beyond this date and time.
7. Cut-Off Date: The Bank has fixed Tuesday, 28th July, 2020 as the Cut-Off Date for determining voting rights of Shareholders entitled to participate in the remote e-voting process/e-voting at the AGM in respect of the business to be transacted at the Meeting. Any person, who acquires shares of the Bank and becomes a shareholder after emailing of the Annual Report (including Notice of AGM) and holding shares as on the Cut-Off Date i.e. 28th July, 2020, may follow the procedure as provided in the Notice of the AGM for obtaining the login ID and password for e-voting. A person whose name is recorded in the Register of Shareholders/ Beneficial owners (maintained by the Depositories) as on the Cut-Off Date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting/ e-voting at the AGM.
8. Voting Rights: In terms of provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the Bank other than Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of the shares held by him in excess of 10% of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. If any share stands in the name of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.
9. In terms of the E-voting Rules, shareholder may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but such shareholder shall not be allowed to vote again at the AGM.
10. Shareholders holding shares in physical form or who have not registered their email id with the Bank/Depository are requested to follow the procedure for casting vote through remote e-voting or e-voting at the AGM as stipulated in the Notice of the AGM.
11. Shareholders holding shares in physical form who have not registered their email id are requested to register the same with the Bank's Registrar and Share Transfer Agent i.e. M/s Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd. at beetal@beetalfinancial.com while those Shareholders who are holding shares in demat form and have not registered/updated their email ids are requested to approach their DP for the same, at the earliest.
12. In case of any query/grievance connected with the facility for e-voting or attending the AGM through VC, Shareholders may contact Mr. Amit Vishal, Senior Manager, NSDL at evoting@nsdl.co.in / AmitV@nsdl.co.in or at 022-24994360 or Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL at: evoting@nsdl.co.in/pallavid@nsdl.co.in or at 022-24994545/1800-222-990

By order of the Board of Directors
For Punjab National Bank

प्रधान कार्यालय: प्लॉट सं. 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली-110075

(ईमेल: hosd@pnb.co.in)

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाने वाली बैंक की 19वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि पंजाब नैशनल बैंक के शेयरधारकों की 19वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम), सेबी (एलओडीआर), विनियमन, 2015 के यथालागू प्रावधानों, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं 14/2020, 17/2020 तथा 20/2020 दिनांक क्रमशः 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 तथा 5 मई, 2020 (एमसीए परिपत्र) तथा सेबी द्वारा जारी सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 ("सेबी परिपत्र") के साथ पठित, के अनुपालन में, वर्तमान कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक स्थल पर शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति के बिना, मंगलवार, 04 अगस्त, 2020 को प्रातः 10.00 बजे (भारतीय मानक समय) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से निम्नलिखित कार्य (वार्षिक आम बैठक के नोटिस में दिए गए विवरण के अनुसार) करने के लिए आयोजित होगी:

साधारण कारोबार

मद सं. 1

31 मार्च 2020 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन पत्र, 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ और हानि लेखों पर, लेखों द्वारा कवर की गई अवधि के लिए बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन पत्र एवं लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना, अनुमोदन देना तथा स्वीकार करना।

विशेष कारोबार

मद सं. 2

बैंक के शेयर प्रीमियम खाते से 28707.92 करोड़ रु. की संचित हानि का विनियोजन।

मद सं. 3

लागू कानूनों/दिशानिर्देशों और अपेक्षित अनुमोदन की प्राप्ति के अधीन, अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी)/आगामी सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ)/राइट्स इश्यू या बाजार की दशाओं के आधार पर यथोचित मानी गई अन्य अनुमत प्रणाली के माध्यम से रु. 7000.00 करोड़ की राशि की इक्विटी शेयर पूंजी जुटाना।

टिप्पणियाँ:

- 19वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना तथा वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण केवल मेल के माध्यम से उन समस्त शेयरधारकों को किया जाएगा, जिनका ईमेल पता उपर्युक्त उल्लिखित परिपत्र (परिपत्रों) के अनुसार बैंक/निक्षेपागार सहभागी (डीपी) के साथ पंजीकृत है। शेयरधारक वार्षिक आम बैठक में केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से शामिल हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं। ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले शेयरधारकों की गणना गणपूर्ति (कोरम) के उद्देश्य से की जाएगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में शामिल होने के निर्देश एजीएम की विस्तृत सूचना में दिए गए हैं।
- वार्षिक आम बैठक की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट www.pnbindia.in तथा स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड एवं नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।
- कोई भी ऐसा व्यक्ति, किसी निगमित निकाय के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में, तब तक वीसी/ओएवीएम एवं/या ई-मतदान के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने या मत देने का पात्र नहीं होगा, जब तक उस बैठक, जिसमें यह संकल्प पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसे नियुक्त करने वाले संकल्प की एक प्रमाणित सत्यप्रति शेयर विभाग, प्रधान कार्यालय, पंजाब नैशनल बैंक, ईस्ट विंग, प्रथम तल, प्लॉट संख्या 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली 110075 में, अथवा संवीक्षक को ई-मेल Scrutinizer@snaco.net पर भेज दी जाए और इसकी प्रति evoting@nsdl.co.in और hosd@pnb.co.in बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् बृहस्पतिवार, 30 जुलाई 2020 को समाप्ति समय अर्थात् सांय 5.00 बजे से पहले अवश्य जमा करा दी जाए।
- शेयरधारकों का रजिस्टर बंद करना: शेयरधारकों का रजिस्टर और बैंक की शेयर अंतरण बही बुधवार, 29 जुलाई 2020 से मंगलवार, 04 अगस्त 2020 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगे।
- इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान: शेयरधारक यह नोट करें कि सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 44 तथा कंपनी (प्रबंध और प्रशासन) नियमावली, 2014, यथा संशोधित [ई-वोटिंग नियमावली], उपर्युक्त उल्लिखित एमसीए परिपत्रों के साथ पठित, के अनुपालन में बैंक को अपने शेयरधारकों को वार्षिक आम बैठक में किए जाने वाले कार्य के संबंध में, राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध करवाए गए ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करने में प्रसन्नता हो रही है तथा शेयरधारक वार्षिक आम बैठक की सूचना में दी गई प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। वार्षिक आम बैठक की सूचना की एक प्रति एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध करवा दी जाएगी।
- दूरस्थ ई-वोटिंग शनिवार, 01 अगस्त, 2020 को सुबह 9:00 बजे शुरू होगी और सोमवार, 03 अगस्त, 2020 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी तथा इस तिथि और समय के पश्चात् दूरस्थ ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- कट ऑफ तिथि: बैंक ने बैठक में किए जाने वाले कार्यों के संबंध में दूरस्थ ई-वोटिंग प्रक्रिया/वार्षिक आम बैठक में ई-वोटिंग में भाग लेने के हकदार शेयरधारकों के मतदान अधिकारों का निर्धारण करने के लिए मंगलवार 28 जुलाई, 2020 को कट ऑफ तिथि के रूप में नियत किया है। कोई भी व्यक्ति, जो वार्षिक रिपोर्ट (वार्षिक आम बैठक की सूचना सहित) ईमेल करने के पश्चात् बैंक के शेयर लेता है तथा शेयरधारक बनता है तथा निर्दिष्ट तिथि अर्थात् 28 जुलाई, 2020 को शेयर रखता है, वह ई-वोटिंग के लिए लॉग इन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने के लिए वार्षिक आम बैठक की सूचना में दी गई प्रक्रिया का पालन कर सकता है। एक व्यक्ति जिसका नाम कट ऑफ तिथि के अनुसार शेयरधारक/हिताधिकारी स्वामी के रजिस्टर (निक्षेपागार द्वारा अनुरक्षित) में दर्ज है, केवल वही दूरस्थ ई-वोटिंग/वार्षिक आम बैठक में ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।
- मतदान का अधिकार: बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2 ई) के प्रावधान के सन्दर्भ में, केंद्र सरकार के अलावा बैंक के किसी भी शेयरधारक को उसके द्वारा रखे गए शेयरों के संबंध में बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों का 10% से अधिक मतदान के अधिकार का प्रयोग करने का हक नहीं होगा। यदि कोई शेयर दो या उससे अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो रजिस्टर में नामित किया गया प्रथम व्यक्ति, मतदान के संबंध में, उसका एकमात्र धारक माना जाएगा।
- ई-वोटिंग नियमों के संदर्भ में, शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकता है, लेकिन ऐसे शेयरधारक को पुनः एजीएम में मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक या जिन्होंने बैंक/डिपॉजिटरी के साथ अपने ईमेल आईडी को पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि एजीएम के नोटिस में यथानिर्धारित रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की प्रक्रिया का पालन करें।
- भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक जिन्होंने अपने ईमेल आईडी को पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे इसे बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट को अर्थात् मैसर्स बीटल फाइनेंशियल एण्ड कम्प्यूटर सर्विसिज (प्रा.) लि. beetal@beetalfinancial.com पर पंजीकृत करें। वे शेयरधारक जिन्होंने अमूर्त प्रारूप में शेयर रखे हैं और जिन्होंने अपनी ईमेल आईडी को पंजीकृत/अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे उक्त हेतु अपने डीपी से संपर्क करें।
- ई-वोटिंग की सुविधा से जुड़े किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में या वीसी के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए, शेयरधारक, श्री अमित विशाल, वरिष्ठ प्रबंधक, NSDL से evoting@nsdl.co.in/AmitV@nsdl.co.in या 022-24994360 पर या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक, NSDL से evoting@nsdl.co.in/pallavid@nsdl.co.in या 022-24994545/1800-222-990 पर संपर्क कर सकते हैं।

**निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते पंजाब नैशनल बैंक**

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 09.07.2020

(राजेश वर्मा)

मुख्य महाप्रबंधक